न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

1 प्र. सं. 07/2020 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 19.03.2020
G.C.M.S. NO. :-2020/00016

घनश्याम पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण मृत्तक के बजाएः–अशोक कुमार पिता घनश्याम जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क, निवासी डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ ....अपीलांट	बनाम	सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.10.2019 न्यायालय तहसीलदार डूंगला, प्रकरण संख्या 49/2019

2 प्र. सं. 08/2020 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 19.03.2020
G.C.M.S. NO. :-2020/00017

घनश्याम पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण मृत्तक के बजाएः–अशोक कुमार पिता घनश्याम जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क, निवासी डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ ....अपीलांट	बनाम	सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.01.2020 न्यायालय तहसीलदार डूंगला, प्रकरण संख्या 576/2019

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

प्र. सं. 07/2020 (रा.अ.) एवं 08/2020 (रा.अ.)
घनश्याम पिता शंकरलाल ब्राह्मण मृत्तक के बजाएः-अशोक कुमार पिता घनश्याम ब्राह्मण निवासी डूंगला बनाम सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

निर्णय

दिनांक 06.06.2024

उपरोक्त दोनों प्रकरण एक ही प्रकृति के होने से एक साथ एक ही निर्णय द्वारा निर्णित किये जा रहे हैं। निर्णय की प्रति उपरोक्त दोनों प्रकरणों की पत्रावलियों में संलग्न की जावे। प्रस्तुत अपीलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का के द्वारा अवैध अतिक्रमण के संबंध में की गई रिपोर्ट के आधार पर ग्राम डूंगला की आराजी नम्बर 1981 रकबा 0.08 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1951 रकबा 0.05 हैक्टेयर पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध क्रमशः प्रकरण संख्या 49/2019 एवं 576/2019 में दिनांक 09.10.2019 एवं दिनांक 21.01.2020 को अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए अतिक्रमी घोषित कर फसल निलाम करने करने, लगान राशि 1.00 रूपये का 50 गुणा 50 रूपये शास्ति आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर अपास्त योग्य है। अतः अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, डूंगला से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील डूंगला के ग्राम डूंगला की बिलानाम आराजी नम्बर 1981 रकबा 0.08 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1951 रकबा 0.05 हैक्टेयर पर सम्वत् 2076 में नाजायज कब्जा कर लेने की पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा मानकर अपीलांट के विरूद्ध फसल निलामी एवं लगान 1.00 रूपये का पचास गुणा 50 रूपये का जुर्माना से दण्डित करने का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवादित आदेश पूर्णतः विधि-विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। सुनवाई हेतु प्रथम पेशी दिनांक क्रमशः प्रकरणों में 09.10.2019 एवं

21.01.2020 को ही अपीलांट के हस्ताक्षर फर्द अहकाम पर करवा लिये और उसे निर्णय की कोई जानकारी नहीं दी और नही साक्ष्य-सबूत पेश करने व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और ना ही कोई आगामी पेशी दी गई। अपीलांट ने जवाब एवं अपना पुराना कब्जा साबित करने का अवसर चाहा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। क्रमशः दिनांक 09.10.2019 एवं 20.01.2020 को मनमाने ढ़ंग से उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है क्योंकि अपीलांट का कब्जा पुराना है इस संबंध में राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। जिसके अनुसार आराजी नम्बर 1981 एवं 1951 पर अपीलांट का सम्वत् 2046, वर्ष 1989-90 से यानि 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा दर्ज रेकार्ड है। पुराने कब्जे के आधार पर अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी डूंगला के यहां नियमन हेतु प्रार्थना पत्र भी पेश कर रखा है जिसकी जानकारी होते हुए भी बिना तथ्यों पर गौर किए यह विवादित आदेश पारित किया है। अपीलांट से खाली फर्द अहकाम पर उपस्थिति के हस्ताक्षर कराये गये। अपीलांट को किसी भांति कोई निर्णय व आदेश नहीं सुनाया गया और न ही उसे किसी आदेश की जानकारी थी। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश का गलत अवलम्बन लेने हेतु मौके से बेदखली का आदेश दिनांक 28.02.2020 के लिए जानकारी से हुई, जिस पर नकल हेतु आवेदन दिनांक 24.02.2020 को पेश किया और दिनांक 26.02.2020 को नकल प्राप्त हुई उसके पश्चात् विधिक सलाह प्राप्त कर यह अपील बिना किसी देरी के अन्दर म्याद पेश है फिर भी अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने हेतु दफा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्रमशः दिनांक 209.10.2019 एवं 21.01.2020 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से फसल निलामी एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 49/2019 में आदेशिका दिनांक 09.10.2019 में ''पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी उपस्थित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।'' छाप अंकित है। प्रकरण संख्या 576/2019 में आदेशिका दिनांक 30.12.2019 में अपीलार्थी की उपस्थिति बताते हुए अतिक्रमण होना स्वीकार किया है तथा शहादत-सबूत पेश करने का अवसर चाहा अंकित किया है। पेशी दिनांक 06.01.2020 को अपीलांट की अनुपस्थिति बताते हुए दिनांक 21.01.2020 में उक्त विवादित आदेश पारित किया है।

दोनों पत्रावलियों में पारित आदेश का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उक्त आदेश प्रिन्टेड फार्म में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए साईक्लोस्टाईल की तरह से तैयार किये जाना स्पष्ट प्रेतिवेदित है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा न ही उसे जवाब व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है जो कि अनुचित है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

निष्कर्षतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक क्रमशः 09.10.2019 एवं 21.01.2020 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)